भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2644

गुरूवार, 23 मार्च, 2023/02 चैत्र, 1945 (शक)

बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून

2644. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए, बाल श्रम कर रहे बच्चों के राज्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों का ब्यौरा क्या है और इन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए उद्योगों के मालिकों के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए अब तक शुरू की गई योजनाओं और अभियानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं पर अब तक खर्च की गई धनराशि और इनके माध्यम से प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम को बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) [सीएएलपीआर] अधिनियम, 1986 कहा जाता है। इस अधिनियम में जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में किसी भी व्यवसाय और कार्य और किशोरों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य या रोजगार पर पूर्ण प्रतिषेध का उपबंध है। इस संशोधन में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोक्ताओं हेतु कड़ी सजा का उपबंध भी है और इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 रेल प्रशासन, प्रमुख बंदरगाह, खान, तेल क्षेत्र जहाँ केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का ब्यौरा, सीएएलपीआर अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उद्योगों के मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, सीएएलपीआर अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं से वसूल की गई जुर्माने की राशि इत्यादि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

जारी..2/

(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना सोसाइटियों के माध्यम से बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से छुड़ाए गए / लौटाए गए को एनसीएलपी विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में भर्ती/नामांकित किया जाता है जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफ़ा, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। एनसीएलपी योजना को अब दिनांक 01.04.2021 से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः भविष्य में छुड़ाए गए बाल श्रमिकों को एसएसए के अंतर्गत परिचालित एटीसी में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीएएलपीआर अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल पीईएनसीआईएल/पेंसिल (प्लेटफॉर्म फॉर ईफेक्टिव एंफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर) का विकास किया है। पोर्टल में बाल श्रम से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत कॉर्नर भी है। इन शिकायतों को जिला के संबंधित जिला नोडल अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय अपने वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया तरीकों के माध्यम से बाल श्रम के विषय में सार्वजनिक जागरूकता प्रदान करता है।

(घ): वर्ष 1988 में योजना के आरंभ से लगभग 14 लाख बाल श्रमिकों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के अंतर्गत काम से छुड़ाया / वापस लाया गया, पुनर्वासित और मुख्यधारा में लाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान (दिनांक 17.03.2023 तक), एसटीसी को संचालित करने के लिए जिला परियोजना सोसाइटी को 12.48 करोड़ रु. जारी किए गए और एनसीएलपी योजना के तहत एसटीसी में भर्ती/नामांकित 8,117 बच्चों को वजीफा के रूप में 3.20 करोड़ रु. भुगतान किया गया।

******